न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 111/2011 एल.आर.एक्ट

श्रीमती भंवरी पुत्री केशाराम पत्नी फूसाराम जाति मेघवाल (चमार) निवासी कल्याणसर पुराना हाल निवासी बैजासर तहसील सरदारशहर जिला चूरु ।

अपीलांट्

—बनाम—

1. जेठाराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी गिंवरसर तहसील सुजानगढ़ ।
2. राजेश पुत्र मोहनराम जाति मेघवंशी निवासी आसरासर तहसील सुजानगढ़ ।
3. राजास्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर ।
4. ग्राम पंचायत ऊपनी तहसील श्रीडूंगरगढ जरिये सरपंच ।

रेस्पोन्डेन्ट्

उपस्थित :—	श्री संजय गोयतान	अभिभाषक अपीलांट्
	श्री सुभाष सहू	राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थित	श्री रामरतन गोदारा	अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 1—2

निर्णय दिनांकः 4.9.2018

1. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ के निर्णय दिनांक 14.10.2011 जिसके द्वारा बैयनामा के इन्तकाल सं0 19 दिनांक 5.3.2008 के विरुध्द प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील सं0 18/2011 अनवान श्रीमती भंवरी बनाम जेठाराम मियाद बिन्दु पर खारिज की गयी, के विरुध्द इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ के खेत खसरा नं0 562 तादादी 6.94 हैक्टेयर भूमि पन्नी धर्मपत्नी खेताराम व पोकरराम पुत्र रेवन्तराम जाति मेघवाल निवासी कल्याणसर नया के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । खातेदार पन्नी व पोकरराम द्वारा उक्त भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 24.1.08 द्वारा रेस्पोन्डेंट सं0 1 व 2 को बेचान करने पर सरपंच, ग्राम पंचायत, ऊपनी द्वारा बैयनामा का इन्तकाल सं0 19 दिनांक 5.3.2008 रेस्पोन्डेंट सं01 व 2 (क्रेता पक्ष) के नाम स्वीकृत किया गया । उक्त बैयनामा के इन्तकाल सं0 19 दिनांक 5.3.2008 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ के समक्ष प्रथम अपील सं0 18/2011 अनवान श्रीमती भंवरी बनाम जेठाराम वगैरह प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 14.10.2011 द्वारा मियाद बाहर होने से खारिज की गयी है। उपखण्ड न्यायालय श्रीडूंगरगरढ के उक्त निर्णय दिनांक 14.10.2011 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।
3. उक्त द्वितीय अपील प्रस्तुत होने पर पक्षकारान एवम् अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया । अपील में वरवक्त बहस अभिभाषक रेस्पोन्डेंट 1—2 के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नाम आवाज लगवाये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो के बिन्दुओं को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि ग्राम कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ के खेत खसरा नं0 449 (पुराना) तादादी 55 बीघा 14 बिस्वा के नये खसरा नं0 562, 563 तादादी 6.94 हैक्टेयर व 6.97 हैक्टेयर भूमि पुश्तैनी अपीलान्ट के दादा के समय से चली आ रही थी । अपीलान्ट के दादा पुरखाराम का देहान्त हो जाने पर उक्त विवादित भूमि के जायज वारिसान अपीलार्थी के पिता केशाराम 1/2 एवं नारायण का 1/2 हिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ । अपीलान्ट के पिता स्व. केसाराम का दिनांक 20.3.1965 को देहान्त हो जाने पर उसकी जायज वारिसान अपीलान्ट हुई, लेकिन नारायण जिसका 1/2 हिस्सा रिकॉर्ड में पहले से दर्ज था, के द्वारा अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता केसाराम की सम्पूर्ण भूमि का विरास्तन इन्तकाल सं0 57 अपने नाम दर्ज करवा लिया । उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया । तत्पश्चात बैयनामा इन्तकाल सं0 69 एवं वर्तमान बैयनामा इन्तकाल सं0 19 गलत रुप से दर्ज होने पर उक्त इन्तकाल सं0 19 दिनांक 5.3.08 के विरुध्द न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ के समक्ष दिनांक 22.9.2011 को प्रथम अपील सं0 18/2011 अनवान भंवरी बनाम जेठाराम प्रस्तुत की गयी, जिसमें अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम एवम् अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश किया गया, जिन पर सुनवाई करते हुए अपील 3 वर्ष 6 माह विलम्ब से पेश होने के आधार पर प्रथम अपील मियाद बिन्दु पर खारिज की गयी है । प्रकरण में विरास्तन इन्तकाल सं0 57 में आदेश पारित करने से पूर्व केसाराम के जायज वारिसान की जांच किये बिना तथा अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना नारायण के हक में स्वीकृत किया गया है, जबकि उसके द्वारा कोई वारिस प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया । नारायण ला औलाद फौत हो गया, इस कारण इनका कोई जायज वारिसान नहीं है ।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट अपने ससुराल ग्राम बैजासर तहसील सरदारशहर में काफी वर्षो से निवास करती है । दिनांक 14.4.2008 को ग्राम कल्याणसर (पुराना) में जाकर अपने रिश्तेदार (भाई–बन्धु) से बातचीत करने पर इन्तकाल 19 दिनांक 5.3.2008 की जानकारी हुई तथा नकल हेतु आवेदन करने पर दिनांक 17.4.08 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर दस्तावेज श्री भरतसिंह एडवोकेट को सुपुर्द करते हुए उन्हें वकील नियुक्त किया एवं इस विश्वास में रही कि उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है । परन्तु दिनांक 19.9.2011 को मालूम पड़ा कि अभिभाषक श्री भरतसिंह द्वारा इन्तकाल सं0 19 के विरुध्द उपखण्ड न्यायालय, श्रीडूंगरगढ़ में अभी तक अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है, तब अपीलान्ट द्वारा शीघ्रता से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गयी । इस कारण प्रथम अपील में प्रस्तुत करने में हुई देरी माफ किये जाने योग्य है । विधि के सिध्दान्त अनुसार अधिवक्ता की गलती के कारण पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील को केवल मात्र मियाद के आधार पर खारिज किया गया है । जहां कोई आदेश अवैध अथवा शून्य हो, वहां उसे किसी भी समय चुनौति दी जा सकती है । इसके अलावा देरी को माफ करने में लचीला रुख अपनाया जाना चाहिये । अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2002(1) पेज–257, आरआरटी 2001(2) पेज 969, आरआरटी 2010 (1) पेज 51, एआईआर 1988 Gujarat 48, 2009(2) आरआरटी 1053, 2010(1)आरजेटी 459, एआईआर 2007 एससी 1889, एआईआर 1982 Bombay 437 अवलोकनीय बताया एवम् अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए विवादित इन्तकाल सं0 19 दिनांक 5.3.08 को निरस्त कर ग्राम कल्याणसर के भूमि खेत खसरा नं0 562 तादादी 6.94 हैक्टेयर के बाबत अपीलान्ट के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया ।

6. अपील में विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि खेत खसरा नं0 562 तादादी 6.94 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध पंजीकृत बैयनामा के आधार पर रेस्पोन्डेंट सं01 व 2 के नाम स्वीकृत इन्तकाल सं0 19 दिनांक 5.3.2008 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड न्यायालय, श्रीडूंगरगढ के समक्ष दिनांक 22.9.2011 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है । प्रकरण में विरास्तन इन्तकाल सं0 57 दिनांक 9.3.1967, बैयनामा का इन्तकाल सं0 69 दिनांक 10.8.67 को दर्ज हुए 44 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका था एवं अपीलाधीन इन्तकाल सं0 19 दिनांक 5.3.2008 पंजीकृत बैयनामा के आधार पर दर्ज हुआ है । उक्त इन्तकाल को स्वीकृत हुए भी 10 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है । उक्त नामान्तरकरण का अपीलान्टा को शुरु से ही ज्ञान था क्योंकि अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2008 से ही वादगत खेतों के सम्बन्ध में राजस्व वाद सं0 145/08 दिनांक 23.4.08 अनवान भंवरीदेवी बनाम फूसाराम जरिये अभिभाषक भरतसिंह द्वारा प्रस्तुत किया हुआ था, जिसमें अपीलान्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सं0 97/08 निरस्त हुआ है । तत्पश्चात अपीलान्ट ने वादगत खेत को रिसीवरी में दिलवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 3.3.09 को खारिज हो चुका है । अपीलान्ट द्वारा उक्त सारी कार्यवाही भरतसिंह राठौड़ द्वारा की गयी है । ऐसी स्थिति में भरतसिंह राठौड़ एडवोकेट को दस्तावेज देना एवं उनके द्वारा साढे तीन साल तक इन्तकाल की अपील प्रस्तुत नहीं करना मनगढन्त है । विवादित भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड न्यायालय में दावा संख्या 145/2008 विचाराधीन है, जिसमें अपीलान्ट द्वारा इन्तकाल सं0 19 को उक्त दावा में चैलेंज कर रखा है । अपीलान्ट को उक्त प्रकरण के विवाद का ज्ञान शुरु से ही है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने के आधार पर उचित ही खारिज की गयी है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण में उभय पक्ष की बहस के अनुसार न्यायालय का निष्कर्ष निम्नप्रकार है :–

I- हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण अनुसार ग्राम कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ के खेत खसरा नं0 562 तादादी 6.94 हैक्टेयर भूमि पन्नी धर्मपत्नी खेताराम व पोकरराम पुत्र रेवन्तराम जाति मेघवाल निवासी कल्याणसर नया के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । खातेदार पन्नी व पोकरराम द्वारा उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.1.08 द्वारा रेस्पोन्डेंट सं0 1 व 2 को बेचान करने पर सरपंच, ग्राम पंचायत, ऊपनी द्वारा बैयनामा का इन्तकाल सं0 19 दिनांक 5.3.2008 रेस्पोन्डेंट सं01 व 2 के नाम स्वीकृत किया गया । उक्त बैयनामा के इन्तकाल सं0 19 दिनांक 5.3.2008 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा न्यायालाय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ में प्रथम अपील सं0 18/2011 अनवान श्रीमती भंवरी बनाम जेठाराम वगैरह 22.9.11 को 3 वर्ष 6 माह पश्चात् प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 14.10.2011 द्वारा मियाद बाहर पेश होने से खारिज की गयी है। मियाद के सम्बन्ध में अपीलान्ट का कथन है कि अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 19 दिनांक 5.3.08 की प्रथम बार जानकारी दिनांक 14.4.08 को होने पर दिनांक 17.4.08 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गयी एवं दस्तावेज श्री भरतसिंह एडवोकेट को सुपुर्द करते हुए उन्हें वकील नियुक्त किया एवं इस विश्वास में रही कि उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है । परन्तु दिनांक 11.9.2011 को मालूम पड़ा कि अभिभाषक श्री भरतसिंह द्वारा इन्तकाल सं0 19 के विरुध्द उपखण्ड न्यायालय, श्रीडूंगरगढ़ में अभी तक अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है, तब अपीलान्ट द्वारा शीघ्रता से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.9.11 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी । अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन इन्तकाल सं0 19 की प्रथम जानकारी दिनांक 14.4.08 से प्रथम अपील पेश करने की दिनांक 16.9.2011 तक 3 वर्ष 6 माह विलम्ब के लिए भरतसिंह अभिभाषक की गलती बताई गयी है, जबकि अपीलान्ट की ओर से श्री भरतसिंह अभिभाषक द्वारा दावा सं0 145/08, अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिनांक 25.8.2010 रिसीवर का प्रार्थना पत्र उपखण्ड न्यायालय श्री डूगरगढ में प्रस्तुत किये गये हैं । ऐसी स्थिति में भरतसिंह राठौड़ एडवोकेट को दस्तावेज देना एवं उनके द्वारा साढे तीन साल तक इन्तकाल की अपील प्रस्तुत नहीं करना मनगढन्त लगता है । हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की ओर से बैयनामा का नामान्तरकरण सं0 19 दिनांक 5.3.08 की प्रथम जानकारी दिनांक 14.4.08 होने के 3वर्ष 6 माह पश्चात दिनांक 22.9.11 को उपखण्ड न्यायालय,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

श्रीडूंगरगढ के सक्षम प्रथम अपील दायर करने के सम्बन्ध में धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में विलम्ब के जो कारण उल्लेखित किये हैं अथवा अधिवक्ता से उल्लेखित करवाये हैं, को किसी भी परिस्थिति में सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता है । विलम्ब के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा यह मूलभूत सिध्दान्त प्रतिपादित किया गया है कि जब तक अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील दायर करने के सम्बन्ध में की गयी देरी के सम्बन्ध में सत्य, विश्वसनीय एवं सन्तोषजनक कारण से अपीलीय न्यायालय को सन्तुष्ट नहीं कर दिया जाता है तब तक अपील दायर करने में की गयी देरी को कन्डोन नहीं किया जा सकता है ।

II- जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रकरण में राजस्व दस्तावेज के अनुसार ग्राम कल्याणसर पुराना के खेत खसरा नं0 562 तादादी 6.94 हैक्टेयर भूमि जरिये बैयनामा के इन्तकाल सं0 19 दिनांक 5.3.08 द्वारा रेस्पोन्डेंट सं0 1 व 2 के नाम दर्ज हुई है । प्रकरण अनुसार खातेदार नारायण के द्वारा वादगत भूमि को वर्ष 1967 में ही आगे बेचान कर दिया गया जिसे 51 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तथा आगे से आगे बेचान के आधार पर रेस्पोन्डेंट सं0 1 व 2 वादगत खेतों के खातेदार कृषक हैं । अपीलान्टा अपने को खातेदार केसाराम की पुत्री बता रही है एवम् उसके द्वारा वर्ष 2008 से ही वादगत खेतों की घोषणात्मक अनुतोष व इन्तकाल को शून्य घोषित कराने के सम्बन्ध में उपखण्ड न्यायालय श्रीडूंगरगढ के समक्ष दिनांक 23.4.08 को राजस्व वाद सं0 145/08 अनवान भंवरीदेवी बनाम फूसाराम वगैरह प्रस्तुत किया हुआ है । अपीलान्टा का स्वत्वाधिकार उक्त वाद की कार्यवाही के अन्तिम निर्णय पर ही तय हो सकता है ।

8- उपरोक्त विवेचन अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील एवं मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में देरी को कण्डोन करने के जो कारण उल्लेखित किये हैं, वे सत्य, विश्वसनीय एवं सन्तोषजनक नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील मियाद बिन्दु पर उचित ही खारिज की गयी है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा उपखण्ड न्यायालय, श्रीडूंगरगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2011 यथावत रखा जाता है ।

9- तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 4.9.18 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालाय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर